भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1662

03 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहनों में महिलाओं की सुरक्षा

1662 **श्रीमती राजाथी:**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने शहरी सार्वजनिक परिवहन गलियारों, जिनमें मेट्रो स्टेशनों, बस टर्मिनलों तथा अन्य परिवहन केंद्रों के आसपास के क्षेत्र शामिल हैं, का कोई देशव्यापी लैंगिक सुरक्षा संबंधी संपरीक्षा करवाया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त सुरक्षा संपरीक्षा में महिलाओं के आवागमन की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले डार्क स्पॉट्स तथा अन्य सुरक्षा संबंधी चिंताओं की शहर-वार पहचान की गई है;

(ग) सरकार द्वारा किए गए सुधारात्मक उपाय तथा विगत पाँच वर्षों के दौरान इसके लिए आवंटित एवं प्रयुक्त की गई निधि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए विगत पाँच वर्षों के दौरान कौन-कौन सी विशिष्ट परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ख) भारत के संविधान के अनुसार "सार्वजनिक व्यवस्था" राज्य का विषय है। इसलिए, बस टर्मिनलों और मेट्रो स्टेशनों के बाहर के क्षेत्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है।

(ग) से (घ) महिला यात्रियों का संरक्षण और संरक्षा को मेट्रो/आरआरटीएस प्रणालियों की नियोजन, डिजाइन, संचालन और रखरखाव के साथ एकीकृत किया गया है। विशेष रूप से, निगरानी प्रणाली, सुरक्षा तैनाती, आपातकालीन संचार सुविधाएं, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था और अन्य यात्री सुरक्षा उपायों को मेट्रो/आरआरटीएस कंपनियों के मानक परिचालन और इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में शामिल किया गया है। ये उपाय समग्र मेट्रो परियोजना लागत का हिस्सा हैं और इन्हें इस मंत्रालय द्वारा अलग से स्वीकृत नहीं किया गया है।

*****